न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

ासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

संख्या :– 261/2013

गुल्लाराम वगै0 बनाम भोमाराम वगै0

दावा बाबत, दुरूस्ती खातेदारी इन्द्राज घोषणा खातेदारी स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित 151 सी.पी.सी

उपस्थितिः–

1. श्री कान्तीशर्मा, वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री खेमचन्द यादव, वकील अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 14/2/2023

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित राजस्व वादपत्र में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत जरिये अपने अधिवक्ता इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थना पत्र वाद के किसी भी प्रक्रम पर प्रस्तुत किया जा सकता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि वाद में आगामी कार्यवाही से पूर्व उपरोक्त प्रकार के प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना विधिक रूप से आवश्यक होता है।
2. वादीगण की ओर प्रस्तुत वाद पत्र में प्रश्नगत भूमि के राजस्व रिकार्ड पर्चा खातेदारी में साबिक भू प्रबन्ध अधिकारियों कर्मचारियों ने लापरवाही एवं गलती से प्रतिवादीगण के पूर्वज झूंथा पुत्र सेडू का नाम नाजायज तरीके से दर्ज करने का उल्लेख किया गया है।
3. हस्तगत वाद पत्र में अप्रार्थीगण/वादीगण ने उनके बुजुर्ग मरहूम चीमां को होने का अभिकथन करते हुए पक्षकारान अप्रार्थीगण/वादीगण एवं प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को एक ही परिवार व खानदान का होना जाहिर किया है तथा वादपत्र में वर्णित पारिवारिक सजरा में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के बुर्जुग झूंथा का नाम भी दर्शित नही किया गया है, जबकि उसके नाम साबिक पर्चा खातेदारी में गलत रूप में दर्ज होना कहते है, लेकिन उनके नाम उक्त प्रश्नगत कब व किस आधार पर दर्ज हुई, इस संबंध में कोई वस्तुस्थिति स्पष्ट नही की गई है। इस प्रकार वादपत्र के तथ्यों के ही परस्पर समन्वय नही है। महज न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग करते हुए उक्त प्रस्तुत वाद पत्र दायर किया है।
4. अप्रार्थीगण /वादीगण के द्वारा अपने वादपत्र में यह भी स्पष्ट नही किया गया है कि मरहूम झूंथा की विरासततत कब किसके नाम हुई तथा तत्समय उनको वादीगण अथवा उनके पूर्वजो ने क्योकर चुनौती नही दी गई। संबंधित प्रावधान बोगस मुकदमेंबाजी को रोकने तथा न्यायालय एवं उभयपक्षों के समय की बर्बादी को रोकने तथा उन पर अंकुश लगाने की गर्ज से बने है, जिनकी कठोरता से पालना किया जाना आवश्यक होता है। इस कारण वाद पत्र इसी स्टेज प्रर खारिज फरमाये फरमाये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हस्तगत वादपत्र खारिज फरमाये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।
5. अप्रार्थीगण /वादीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को गलत होना बताकर अस्वीकार करते हुए अभिकथन किया कि पक्षकारान के एक ही पूर्वज की सन्तान होने का यह अर्थ कतई नही है कि वादग्रस्त भूमि में सभी उत्तराधिकारियों का हिस्सा है। आराजी मुतनाजा पर वादीगण राजस्थान कांश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के समय से ही बहैसियत खातेदार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादग्रस्त सम्पति साबिक भू–प्रबन्ध के समय प्राप्त अधिकारिता के अनुसार वादीगण की खातेदारी की भूमि है। प्रश्नगत वाद प्रस्तुत करने के किसी भी भांति न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग नही किया गया है,अपितु न्यायिक प्रावधानों के अनुरूप दावा पेश किया

क कलक्टर
जि (जयपुर) राज

Scanned with OKEN Scanner

गया है। दावा हाजा एवं समेंकित दावा उक्त उनवानी भौमा वगैरह बनाम गुल्ला आदि वाद संख्या 03/07 में साक्ष्य विधि की प्रकिया अनुसार दोनो पक्षों को सुना जाकर निर्णय किये जाने योग्य है। इस स्टेज पर आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी की व्यवस्था के तहत उक्त दावा खारिज नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे एवं अप्रार्थीगण/वादीगण हर्जा–खर्चा प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

6. बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

7. विद्वान अभिभाषक आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र में ज्ञापन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उन्होने आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र हस्तगत वाद में पेश किया है,जो किसी भी स्तर पर पेश किया जा सकता है। वाद में अन्य कार्यवाही से पूर्व इसका निर्णय होना चाहिए। सम्वत 2027 वाले भू प्रबन्ध के समय की बात अप्रार्थीगण/वादीगण कह रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बुर्जुग चीमा एक ही व्यक्ति है। किन्तु चीमां के नाम का पत्रावली में कोई साक्ष्य नही है, कहना मात्र साक्ष्य नही है। वादपत्र के पैरा–4 में वर्णित पारिवारिक सजरा में झूंथा का कही नाम नही है। सजरे में उनके पूर्वज चीमा की मृत्यु कब हुई का भी उल्लेख नही है। यदि 1955 से पहले हुई हो तो जयपुर टीनेन्सी एक्ट लागू होगा तथा बाद में हुई हो तो आर टी ए 1955 लागू होगा। ओरल साक्ष्य पर कोई दावा डिक्री नही हो सकता,दस्तावेजी साक्ष्य आवश्यक है। 1955 में खातेदार था कहा है, लेकिन इस संबंध में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही है। सीपीसी के आदेश 7 के तहत उक्त दावा चलने योग्य नही है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण रिकार्डेड खातेदार है, जिनके विरूद्ध मौखिक साक्ष्य से घोषणा का दावा डिक्री नही हो सकता। वाद पत्र में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही की है। ऐसी स्थिति में न्यायालय मूकदर्शक नही रह सकता। धारा 151 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसरण में बोगस दावा को खारिज किया जाने के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार होने पर अप्रार्थीगण /वादीगण का दावा खारिज होगा एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दावा में सुनवाई चलती रहेगी। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रश्नगत वाद पत्र खारिज फरमाया जावे।

8. अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अभिभाषक आवेदन के तर्कों का खण्डन करते हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि उक्त हस्तगत दावा के साथ कन्सोलेटेड है।

9. उनका यह भी कथन है कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के निम्न बिन्दु पर विधि द्वारा वर्जित है, इस संबंध में स्पष्ट नही किया गया है कि वाद किस कानून एवं विधि के प्रावधानों के अनुसरण में विधि से वर्जित है। उनका यह भी कहना है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पूर्वज चीमां एक ही व्यक्ति है, यह साक्ष्य का विषय नही है न कि आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण मेरे दावे के लिए तो आदेश 7 नियम 11 सीपीसी लगाया है, लेकिन जो दावा इस दावे के साथ कन्सोलेडेट है, उसके बारे में आदेश 7 नियम 11 सीपीसी मौन है तो उसका क्या होगा ? इनका दावा बेदखली का है तो इसका मतलब है कि इस पूरी जमीन पर मैं काबिज हूं। इसलिए वाद में उभयपक्षों का साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर वाद सुनवाई गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया जावे। प्रार्थीगण /प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन के न्यायिक दृष्टान्त DNJ 2018(4) RAJ HC PP 1394 To 1377, RRT 2021(2) SC PP 1480 TO 1492, DNJ 2015(4) RAJ HC PP 1819 To 1820, DNJ 2017(3) RAJ HC PP 1424, DNJ 2019(2) RAJ HC PP 764 To 766, DNJ 2019(2) RAJ HC PP 80 To 814, RRT 2021(1) RAJ REV BD PP 638 To 641 And RRT 2016 (2) Page 1360 में प्रतिपादित सिद्धान्त उध्दृत किये।

10. हमने उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषणगण की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के तथ्यों का एवं न्यायिक दृष्टान्तों में अभिनिर्धारित सिद्धान्तों का भलीभांति अध्ययन कर विचार किया।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

11. प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं सहपठित धारा 151 सीपीसी के निर्णय में केवल मूल रूप से वादपत्र में वाद कारण का उल्लेख नही होना , वादपत्र समुचित मुद्रांकित पर नही होना या वाद विधि से वर्जित होने आदि बिन्दुओं पर विचार कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा सकता है। प्रश्नगत वाद दुरूस्ती खातेदारी इन्द्राजात, घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध में है। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी मे हमारे सम्मुख केवल वादपत्र में किये गये अभिकथनों को देखना ही विचारणीय है जवाब दावा में उठो बचाव बिन्दु विचारणीय नही है। इसलिए हम हमारा निर्णय वादपत्र में वर्णित किये गये प्रवचनों पर ही आधारित करते है। हस्तगत प्रकरण में किसी भी निर्णय, आदेश या कार्यवाही को निरस्त करवाने का अनुरोध नही किया गया है, अपितु राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण एवं उनके पूर्वजों के नाम भू–प्रबन्ध के अधिकारियों एवं कार्मिकों के द्वारा लापरवाही करके गलत रूप से खातेदारी दर्ज करने का मौखिक कथन करते हुए उनका नाम वर्तमान अंकनों से निरस्त करके उनके स्थान पर अप्रार्थीगण/वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज किये जाने की इस्तदुआ की गई है। हमारा यह सुविचारित मत है कि राजस्व अभिलेख के अंकन स्वतः उत्पन्न स्थिति नही होते है और राजस्व रिकार्ड के अंकनों के आधार में कोई न कोई आदेश होता है और जब तक उक्त आदेश को निरस्त नही करवाया जावे तब तक राजस्व अंकनों को समाप्त नही किया जा सकता है। यह कानून का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक मूल आदेश को चुनौती नही दी जाती है, संदर्भ को स्वीकार करने से कोई उपादेय परिणाम प्राप्त नही होगा।

12. हस्तगत प्रकरण में अनावेदक/वादीगण के द्वारा कहीं भी यह सुस्पष्ट नही किया गया है कि उनके द्वारा किस मूल आदेश, निर्णय या कार्यवाही को चुनौती देकर राजस्व रिकार्ड में उनके मौखिक कथनों के आधार पर हुए गलत अंकनों को निरस्त कर प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी कलमजन करके उनके अप्रार्थीगण/वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने की इस्तदुआ की गइ है। ऐसी स्थिति में यह भी स्पष्ट नही होता है कि उक्त प्रश्नगत वादपत्र में न्यायालय हाजा को सुनवाई करने एवं निर्णित करने का क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है अथवा नही। केवल मात्र मौखिक अभिकथनों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते है। इस प्रकार अप्रार्थीगण/वादीगण का वाद विधि से वर्जित होना प्रकट होता है, जो अन्तोगत्वा पोषणीय नही होने के कारण स्वीकार योग्य नही है।

13. अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार कर अप्रार्थीगण/वादीगण का वाद संख्या 261/2016 ब उनवानी गुल्लाराम वगै0 बनाम भौमाराम वगै0 विधि से बाधित होने तथा क्षेत्राधिकार विहीन होने से नामन्जूर कर खारिज किया जाता है। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

14. निर्णय आज दिनांक ...14/2/2023... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

ठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
द संख्या :– 261/2013

गुल्लाराम वगै0 बनाम भोमाराम वगै0

दावा बाबत, दुरूस्ती खातेदारी इन्द्राज घोषणा खातेदारी स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित 151 सी.पी.सी

उपस्थितिः–
1. श्री कान्तीशर्मा, वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से
2. श्री खेमचन्द यादव, वकील अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 14/2/2023

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र तर्गत आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सीपीसी का स्वीकार कर ार्थीगण/वादीगण का वाद संख्या 261/2016 ब उनवानी गुल्लाराम वगै0 बनाम भौमाराम 0 विधि से बाधित होने तथा क्षेत्राधिकार विहीन होने से नामन्जूर कर खारिज किया जाता हर्जा खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 14/2/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.
सत्यमेव जयते

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रैक)
शाहपुरा जिला जयपुर

के खर्चे

	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
द पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
क्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
र्शी के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
..... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
क्षियों के लिए निर्वाह – व्यय		आदेशिका की तामील	
मिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
देशिका की तामिल			
		जोड़	

Scanned with OKEN Scanner